पूर्ण पीठ

माननीय न्यायमूर्ति ए. डी. कोशल , एस. एस. *संधावालिया और प्रेम चंद जैन, के समक्ष*

बलवंत सिंह पुत्र हरमन बैकलाइट इंडस्ट्रीज,-याचिकाकर्ता

बनाम

भारतीय स्टेट बैंक, ईआईटी सी, - उत्तरदाता।

1973 का सिविल संशोधन संख्या 420।

12 फरवरी, 1976।

*सिविल प्रक्रिया संहिता (*1908 का अधिनियम V*) - आदेश* 7, *नियम* 11 - *केवल कुछ प्रतिवादियों के खिलाफ दावे के हिस्से के संबंध में कार्रवाई के कारण का खुलासा करने वाले वाद की प्रयोज्यता - क्या समग्र रूप से खारिज किया जाना चाहिए - प्रतिवादियों के नाम जिनके खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण प्रकट नहीं किया गया है - क्या रद्द किया जाना है - शेष प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा - क्या आगे बढ़ सकता है*।

यह अभिनिर्धारित किया *गया* कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 11, आदेश VII के खंड (ए) को पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल उस मामले में लागू होता है जहां एक वादी कार्रवाई के किसी भी वाद-हेतुक का खुलासा नहीं करता है। ऐसे मामले में, जहां वाद-हेतुकोऔर पार्टियों का संयोजन होता है और कार्रवाई के एक या अधिक कारणों के संबंध में और कुछ प्रतिवादियों के खिलाफ डिक्री पारित करने के लिए बाध्य होता है, संहिता

के आदेश 7 के नियम 11 (ए) के प्रावधानों को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। एक ऐसे मामले के बीच एक स्पष्ट अंतर है जहां वादी स्वयं कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है और एक ऐसा मामला जिसमें, पार्टियों द्वारा मौखिक और दस्तावेजी सबूत पेश करने के बाद, अदालत पूरे मामले पर विचार करने पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मुकदमे के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं था। पहले मामले में, आदेश 7, नियम 11 के प्रावधान आकर्षित होते हैं, लेकिन बाद के मामले में, निर्णय के बाद, मुकदमा खारिज करना पड़ता है। वाद-हेतुक वादी द्वारा लगाए गए भौतिक तथ्यों का एक बंडल है जो प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा करने और राहत का दावा करने के अपने अधिकार को बनाने के लिए है। यदि न्यायालय द्वारा जांच करने पर यह पाया जाता है कि कुछ तथ्य उसे पूरी राहत या दावा की गई राहत के किसी भी हिस्से के संबंध में कुछ प्रतिवादियों पर मुकदमा करने का अधिकार नहीं देते हैं, तो वाद अस्वीकार किए जाने के लायक नहीं है और न ही निर्णय के बाद पूरे मुकदमे को खारिज कर दिया जाएगा। ऐसे प्रतिवादियों के खिलाफ किसी भी संशोधन के बिना एक डिक्री पारित की जानी चाहिए जो उत्तरदायी पाए जा सकते हैं और उनके संबंधित दायित्व के अनुसार। इसलिए संहिता के आदेश 7, नियम 11 (ए) के प्रावधान केवल ऐसे मामले में लागू होते हैं जहां इस दलील के कारण कि एक वादी कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है, वादी पूरी तरह से गैर-अनुकूल होना चाहिए, लेकिन इस नियम का उन मामलों पर कोई प्रयोज्यता नहीं होगी जहां एक वादी कुछ प्रतिवादियों के खिलाफ दावे के हिस्से के संबंध में कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है। उस घटना में प्रतिवादियों के नाम

जिनके खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं है या मुकदमा कानून द्वारा प्रतिबंधित है, को हटा दिया जाना चाहिए और शेष प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ सकता है।

माननीय न्यायमूर्ति ए. डी. कोशल द्वारा दिनांक 4 *अक्टूबर,* 1974 *को मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए भेजा गया मामला। माननीय न्यायमूर्ति ए. डी. कोशल, माननीय न्यायमूर्ति एस. एस. संधावालिया और माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रेम चंद जैन की पूर्ण पीठ ने* 12 फरवरी, 1976 को मामले का फैसला किया। *संदर्भित प्रश्न पर निर्णय लेने के बाद, मामले को गुण-दोष के आधार पर निपटारे के लिए माननीय एकल न्यायाधीश को लौटा दिया गया।*

पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 44 *और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115* के तहत श्री एम के आदेश में संशोधन के लिए *याचिका।* K. *बंसल, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, सोनीपत ने दिनांक 7 फरवरी, 1973 को* यह कहते हुए कहा कि प्रतिवादी संख्या 1973 के खिलाफ वाद को केवल खारिज किया जाना है। 6 *अकेले और आदेश देना कि प्रतिवादी नंबर 6 का नाम* 6 *को वाद-पत्र से हटा दिया जाए।* अन्य *प्रतिवादियों के लिए वाद खारिज नहीं किया जाएगा* और *इस तरह मुकदमा आगे बढ़ेगा।*

याचिकाकर्ता की ओर से वकील गुरदेव सिंह के साथ वकील बीएस गुप्ता

/

आर. के. छिब्बर, एडवोकेट और राजेंद्र पॉल, एडवोकेट, प्रतिवादी *नंबर 10 के लिए।* 1, मोहिंदर सिंह पूनिया, एडवोकेट, *प्रतिवादी संख्या 10 के लिए।* 6.

पूर्ण पीठ का निर्णय

न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन—बलवंत सिंह ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत यह याचिका सोनीपत के अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी के आदेश के खिलाफ दायर की है, जिसमें 1,17,268.59 पैसे की वसूली के लिए भारतीय स्टेट बैंक, प्रतिवादी संख्या 1 (इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर वाद को याचिकाकर्ता और आठ अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ पूरी तरह से खारिज करने से इनकार कर दिया गया था। मामले के प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है: –

7 जनवरी, 1966 को, बैंक ने मेसर्स कुक मैन्युफैक्चरिंग, सोनीपत, प्रतिवादी नंबर 1 (इसके बाद फर्म के रूप में संदर्भित) को 14,950 रुपये की सीमा तक किस्त क्रेडिट सुविधा प्रदान की, जिसे फर्म द्वारा तीन साल की अवधि में 12 किस्तों में चुकाया गया था। प्रतिवादी नंबर 5 फर्म को अग्रिम राशि के पुनर्भुगतान के लिए जमानती था। 18 जुलाई, 1966 को फर्म को बैंक द्वारा 10,000 रुपये की सीमा तक ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की गई थी और इस खाते में 13 नवंबर, 1966 को फर्म से 7,291.31 पैसे की राशि बकाया थी, जिसके पुनर्भुगतान के लिए, प्रतिवादी नंबर 4 11 नवंबर, 1967 को जमानतदार था।

मुकदमे की तारीख तक बकाया राशि बढ़कर 9,178.01 पैसे हो गई। 11 नवंबर, 1967 को, फर्म को बैंक द्वारा 80,000 रुपये की सीमा तक नकद क्रेडिट ऋण आवास भी प्रदान किया गया था, जिसका पुनर्भुगतान, किसी भी ब्याज के साथ, जो देय हो सकता है, प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा गारंटी दी गई थी। मुकदमे की तारीख को इस खाते में 99,640.58 पैसे बकाया हो गए थे। प्रतिवादी नंबर 2 और 3 फर्म के भागीदार हैं। 17 जून, 1966 को, प्रतिवादी संख्या 2 ने बैंक के पक्ष में वाद के पैराग्राफ 13 में विस्तृत संपत्ति के शीर्षक विलेख जमा करके गिरवी रखा , जिसे बाद में पता चला कि उक्त संपत्ति को प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 और 7 के पक्ष में काल्पनिक रूप से गिरवी रखा गया था, जो दोनों सहकारी समितियां हैं। उपरोक्त आरोपों के आधार पर, वादी ने मुकदमे की तारीख से इसकी वसूली की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लागत के साथ और भविष्य के ब्याज के साथ 1,17,268.59 पैसे की राशि के लिए डिक्री के लिए प्रार्थना की।

प्रतिवादियों ने मुकदमे का विरोध किया। लिखित बयान दायर होने के बाद, प्रतिवादी संख्या 4 ने 22 अगस्त, 1972 को एक आवेदन दिया, जिसमें अनुरोध किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसरण में वाद को खारिज कर दिया जाए। बैंक द्वारा आवेदन का विरोध किया गया था। पक्षकारों के वकील ों को सुनने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि वाद में प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ किस्त क्रेडिट सुविधा के कारण दावा की गई 8,450 रुपये की राशि के संबंध *में कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया है; कि वाद में प्रतिवादी नंबर 5 के खिलाफ*

ओवरड्राफ्ट सुविधा और कैश क्रेडिट लोन आवास के खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया है और वाद में कोई आरोप नहीं है कि धारा के तहत कोई नोटिस दिया गया है। पंजाब को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट की धारा 79 प्रतिवादी नंबर 6 और 7 को दी गई थी, लेकिन वाद में उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया है। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि वाद को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाना था, बल्कि केवल प्रतिवादियों नंबर 6 और 7 के खिलाफ खारिज किया जाना था, जिनके नाम ट्रायल कोर्ट ने विवादित आदेश के माध्यम से वाद से हटाने का निर्देश दिया था । जैसा कि पहले कहा गया था, यह विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ है कि वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।

यह याचिका भाई कोशल, जे के समक्ष सुनवाई के लिए आई। इसमें शामिल कानून के सवाल के महत्व को देखते हुए, भाई कोशल, जे, ने निर्णय के लिए मामले को एक बड़ी पीठ को भेजना उचित समझा। इस तरह हम इस मामले से अवगत हैं।

इस मामले में जिस संक्षिप्त प्रश्न के निर्धारण की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या एक वादपत्र जो कुछ प्रतिवादियों के खिलाफ दावे के हिस्से के संबंध में वाद-हेतुक का खुलासा नहीं करता है, वह पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

विवाद का निर्णय करने के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों को पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैं: -

"आदेश 7 नियम 11.

11. वादपत्र कार नामंज़ूर किया जाना —वह उत्तर निम्नलिखित दशाओं में नामंज़ूर कर दिया जाएगा—

(क) जहां वह वाद-हेतुक प्रकट नहीं करता है;

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित की जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है;

(ग) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किंतु वादपत्र और पर्याप्त स्टैम्प-पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टैम्प-पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर,जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है;

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है;

आदेश 1 *नियम* 4 (ख)।

बिना किसी संशोधन के निर्णय दिया जा सकता है-

(ख) प्रतिवादियों में से जो एक या अधिक प्रतिवादी दायी पाए जाएं उसके या उनके विरुद्ध उनके अपने-अपने दायित्वों के अनुसार, निर्णय किसी संशोधन के बिना दिया जा सकेगा ।

आदेश 1 *नियम* 5.

यह आवश्यक नहीं होगा कि हर प्रतिवादी अपने विरुद्ध किसी वाद में दावाकृत संपूर्ण अनुतोष के बारे में हितबद्ध हो।

आदेश 1 *नियम* 9.

कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण विफल नहीं होगा और न्यायालय हर वाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहाँ तक कर सकेगा जहाँ तक उन पक्षकारों के, जो उसके वस्तुत:समक्ष हैं, अधिकारों और हितों का संबंध है

आदेश 2 *नियम* 6.

जहाँ हम न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि एक ही वाद में वाद-हेतुको के संयोजन से विचारण में उलझन यह विलंब हो जाएगा या ऐसा करना अन्यथा असुविधाजनक होगा वहाँ न्यायालय पृथक विचारण का आदेश दे सकेगा या ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा जो न्याय के हित में समीचीन हो ।

सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 11, आदेश VII के खंड (ए) के आधार पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री बीएस गुप्ता द्वारा जो तर्क देने की मांग की गई थी, वह यह थी कि वादी ने याचिकाकर्ता और कुछ अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया था और इस तरह पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए /विद्वान वकील के अनुसार, सिद्धांत के साथ-साथ कानून के आधार पर, एक वाद को आंशिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक वाद जो केवल कुछ प्रतिवादियों के खिलाफ दावे के हिस्से के संबंध में कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है, उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर प्रतिवादियों के वकील श्री छिब्बर ने तर्क दिया कि खंड (ए) में वाद को पूरी तरह से अस्वीकार करने की परिकल्पना नहीं की गई थी, यदि यह कुछ प्रतिवादियों के खिलाफ दावे के हिस्से के संबंध में कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है, और इस तरह के दावे की अदालत द्वारा मुकदमा चलाया

जाना था।. पूरे मामले पर अपना विचार करने के बाद, मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री गुप्ता की दलील से सहमत होने में खुद को असमर्थ पाता हूं।

ऊपर उल्लिखित आदेश 1 और आदेश 2 के विभिन्न नियमों के अवलोकन से, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि वाद-हेतुक और पक्षों के संयोजन के ग़लत होने के संबंध में कोई तकनीकी आपत्ति वादी को पूरी तरह से अधिकार ख़त्म नहीं कर देगा । यह भी स्पष्ट है कि कानून के इन हितकारी नियमों को लागू करने में, विधायिका का इरादा न्याय पर काबू पाने वाली तकनीकी बातों को रोकना और मुकदमेबाजी के साधन के रूप में काम करने से रोकना रहा है।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 जोड़ी गई, जो स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रक्रिया के नियम न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, न कि उन्हें पराजित करने के लिए।

अब, इस संदर्भ में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 11 के उपबंधों का उल्लेख करते हुए, मैं पाता हूं कि नियम में चार आधारों का उल्लेख है जिन पर न्यायालय वाद को अस्वीकार करने के लिए बाध्य है। खंड (क) जिसके साथ हम संबंधित हैं, उस स्थिति से संबंधित है जहां वाद-हेतुक का खुलासा नहीं करता है। मेरे विचार से, खंड (क) को पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल उस मामले में लागू होगा जहां एक वादपत्र कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है। इस खंड में 'क' शब्द का अर्थ 'कोई' होगा, और जब 'क' के स्थान पर 'कोई' शब्द पढ़ा जाता है, तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि विधायिका का इरादा न्यायालय को किसी वाद को अस्वीकार करने का अधिकार देना था, जहां उसने कार्रवाई के किसी कारण का खुलासा नहीं किया हो। . ऐसे मामले में, जहां पक्षकारों और वाद-हेतुको का संयोजन है और कार्रवाई के एक या अधिक कारणों के संबंध में और कुछ प्रतिवादियों के खिलाफ डिक्री पारित करने के लिए बाध्य है, आदेश 7 के नियम 11 (ए) के प्रावधानों को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। कोई भी अन्य व्याख्या न केवल सामान्य ज्ञान और न्याय के आदेशों को अपमानित करेगी, बल्कि ऊपर उल्लिखित पार्टियों और वाद-हेतुको के गलत संयोजन के बारे में प्रावधानों को भी अपमानित करेगी। एक ऐसे मामले के बीच एक स्पष्ट अंतर

है जहां वादी स्वयं कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है और एक ऐसा मामला जिसमें, पार्टियों द्वारा मौखिक और दस्तावेजी सबूत पेश करने के बाद, अदालत पूरे मामले पर विचार करने पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मुकदमे के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं था। पहले मामले में, आदेश 7, नियम 11 के प्रावधान आकर्षित होते हैं, लेकिन बाद के मामले में, निर्णय के बाद, मुकदमा खारिज करना पड़ता है। हालांकि, परीक्षण के बाद, यह पाया जाता है कि दावे का एक हिस्सा प्रमाणित हो गया है, तो उस दावे के संबंध में एक डिक्री पारित की जानी चाहिए और उस घटना में, पूरे मुकदमे को खारिज नहीं किया जाएगा। आखिरकार, वाद-हेतुक वादी द्वारा प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा करने और राहत का दावा करने के अपने अधिकार को बनाने के लिए लगाए गए भौतिक तथ्यों का एक बंडल है। लेकिन अगर जांच करने पर यह पाया जाता है कि कुछ तथ्य उसे पूरी राहत या दावा की गई राहत के किसी भी हिस्से के संबंध में कुछ प्रतिवादियों पर मुकदमा करने का अधिकार नहीं देते हैं, तो वाद खारिज होने के लायक नहीं होगा और न ही निर्णय के बाद पूरे मुकदमे को खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन जैसा कि आदेश 1 में परिकल्पित है, नागरिक प्रक्रिया संहिता के नियम 4 के अनुसार, ऐसे प्रतिवादियों के खिलाफ बिना किसी संशोधन के एक डिक्री पारित की जानी चाहिए जो उत्तरदायी पाए जा सकते हैं और उनकी संबंधित देयता के अनुसार। यह भी देखा जा सकता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 5 के तहत, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रतिवादी को उसके खिलाफ किसी भी मुकदमे में दावा की गई सभी राहत के बारे में रुचि होनी चाहिए। मामले के इस दृष्टिकोण में, मेरी निश्चित रूप से राय है कि एक वाद जो

कुछ प्रतिवादियों के खिलाफ दावे के हिस्से के संबंध में वाद-हेतुक का खुलासा नहीं करता है, उसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। मेरे इस दृष्टिकोण को विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों से पूर्ण समर्थन मिलता है, जिनका मैं वर्तमान में विस्तृत संदर्भ दे रहा हूं। एल में। *कोलिन्स* बनाम *चार्ल्स बूथ एंड कंपनी लिमिटेड* (1), यह इस प्रकार मनाया गया था।

> जहां तक मुझे पता है, इंग्लैंड में नियम भारत की तरह ही है, आदेश VII, नियम 11 के तहत शक्तियों का उपयोग बहुत सावधानी के साथ किया जाता है और केवल तभी जब अदालत संतुष्ट होती है कि भले ही वादी वाद में लगाए गए सभी आरोपों को साबित कर दे, फिर भी वह किसी भी राहत का हकदार नहीं होगा।

शंकरर बालाजी *और अन्य बनाम* शामबिहारी और अन्य (2) *के मामले में* , विद्वान न्यायाधीशों ने निम्नानुसार टिप्पणी की: –

> "हमारा निष्कर्ष यह है कि वादी प्रतिवादी 6 प्रांतीय सरकार के खिलाफ कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है। इसमें आदेश 7, नियम 11 (ए) के तहत वाद की अस्वीकृति शामिल होगी यदि प्रतिवादी 6 अकेला खड़ा था, लेकिन स्पष्ट रूप से एक वाद को अस्वीकार करना संभव नहीं है जो कुछ प्रतिवादियों के खिलाफ वाद-हेतुक का खुलासा करता है और बाकी के खिलाफ कोई नहीं। ऐसे मामले में एकमात्र व्यवहार्य तरीका प्रतिवादी को आरोपमुक्त करना है, जिसके खिलाफ कोई वाद-हेतुक नहीं बताया गया है, और उसका नाम वाद से हटा दिया जाए; और यही

हम कर सकते थे। लेकिन चूंकि वादी अपनी याचिका में संशोधन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम और कुछ नहीं कर सकते।

1. ए.आई.आर. 1921 106 ।
2. ए.आई.आर. 1951 नागपुर 419.

अजीत के साहा बनाम *नागेंद्र एन साहा और एक अन्य* (3) में, यह इस प्रकार देखा गया है: –

"ऐसे मामले में जहां वाद हेतुको का एक संयोजन है और वाद हेतूको में से एक या अधिक के संबंध में डिक्री पारित की जानी है, विलंब के माध्यम से याचिका नहीं ली जा सकती है। विलंब के माध्यम से कोई याचिका केवल तभी ली जा सकती है जब याचिका के कारण वादी पूरी तरह से अयोग्य हो."

श्रीमती चंदानी वी। *राजस्थान राज्य और अन्य* (4), विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार कहा: –

"इन प्रतिद्वंद्वी विचारों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, मैं उत्तरार्द्ध को दोनों में से बेहतर के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 11 में निस्संदेह यह निर्धारित किया गया *है कि वाद को* तब खारिज कर दिया जाएगा जब वाद वाद में दिए गए कथन से प्रतीत होता है कि किसी कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि, मुझे ऐसा लगता है कि यह नियम अपने पूर्ण आवेदन में आकर्षित होगा, जहां मुकदमा पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा, और अलग-अलग विचार यथोचित रूप से

उत्पन्न हो सकते हैं जहां इस तरह के मुकदमे को कुछ प्रतिवादियों के खिलाफ प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन फिर भी दूसरों के खिलाफ नाग किया गया हो।

अत्यंत सम्मान के साथ, मैं इस विचार को स्वीकार करने के लिए खुद को राजी नहीं कर पाया हूं कि भले ही इस तरह का मुकदमा कुछ प्रतिवादियों के खिलाफ अच्छा हो सकता है, भले ही यह कुछ अन्य लोगों के खिलाफ बुरा हो, पूरे मुकदमे को आवश्यक रूप से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। यह मुझे सामान्य ज्ञान के सभी विचारों और न्याय के आदेशों के खिलाफ लगता है, न ही मुझे लगता है कि इस तरह के परिणाम को नियम का एक आवश्यक परिणाम माना जाना चाहिए क्योंकि यह आम तौर पर नियम 11 के खंड (डी) में सन्निहित है, और मेरे विचार से यह आमतौर पर एक ऐसे मामले पर लागू होने का इरादा है जहां एक वादी या एक एकल प्रतिवादी है और उसके द्वारा या उसके खिलाफ मुकदमा किसी भी कानून द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

1. ए.आई.आर. 1960 कलकत्ता 484.
2. ए.आई.आर. 1962 राज। 36.

> इस प्रकार, जहां एक वादी एक या कुछ प्रतिवादियों के खिलाफ कार्रवाई के अधिकार का खुलासा नहीं करता है, लेकिन यह बाकी के खिलाफ करता है, या जहां एक या कुछ प्रतिवादियों के खिलाफ कानून द्वारा मुकदमा प्रतिबंधित किया जाएगा, लेकिन बाकी के खिलाफ नहीं, मेरी राय में, न्यायसंगत और उचित तरीका यह होना चाहिए कि वादपत्र को पूरी तरह से खारिज न किया जाए, बल्कि उन प्रतिवादियों के नामों को खारिज कर दिया जाए जिनके खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं है या मुकदमा कानून द्वारा प्रतिबंधित है और इसे बाकी के खिलाफ आगे बढ़ने की अनुमति देता है। यह निश्चित रूप से सर्वोपरि विचार के अधीन होगा कि इस तरह का मुकदमा, मूल कानून के मामले के रूप में, शेष प्रतिवादियों के खिलाफ सुनवाई योग्य होगा।

अब मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक निर्णयों की जांच करना जारी रखता हूं कि यदि कोई वादी कुछ प्रतिवादियों के खिलाफ दावे के हिस्से के संबंध में कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है, तो पूरे वाद को खारिज कर दिया जाना चाहिए।. वकील श्री गुप्ता ने श्री *राजा वेंकट रंगिया अप्पा राव बहादुर और एक अन्य , राज्य सचिव और अन्य* (5), *(श्री राजा) वेंकट रंगिया अप्पा राव बहादुर और अन्य राज्य सचिव और अन्य* (6), *मकसूद अहमद और एक अन्य* वी। *मथरा दत्त एंड कंपनी और अन्य* (7). *नूर मोहम्मद* वी। *अब्दुल फतेह और अन्य* (8), *हरिहर महापात्रा और अन्य बनाम हरि ओथा और अन्य* (9), *और बंसी लाल* वी। *सोम प्रकाश और अन्य* (10) पर

भरोसा किया। इन सभी निर्णयों को देखने के बाद। मुझे लगता है कि उनमें से कोई भी विवाद के बिंदु के लिए प्रासंगिक नहीं है और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए बिंदु को तय करने में कोई सहायता नहीं है। *वेंकट रंगिया अप्पा राव बहादुर मामले में,* मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और धारा 80 की अपेक्षाओं का पालन न करने पर नियम 11 के खंड (डी) के तहत वाद को अस्वीकार कर दिया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा कि भले ही नियम 11 का खंड (डी) लागू नहीं होता है, फिर भी वाद इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि यह धारा 80 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है। विद्वान न्यायाधीश के इस दृष्टिकोण की पुष्टि लेटर्स पेटेंट बेंच ने उसी मामले में की थी जिसकी रिपोर्ट एआईआर 1935 मद्रास पेज 389 में की गई थी। *बंसीलाल के मामले* (ऊपर) में, तथ्य यह था कि वादी ने पांच अलगाव को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया था। इस बात पर आपत्ति जताई गई थी कि दावे को कम मूल्यांकन किया गया है।

1. ए.आई.आर. 1931 मद्रास 175 ————————
2. ए.आई.आर. 1935 मद्रास 389.
3. ए.आई.आर. 1936 लाहौर 1021.
4. ए.आई.आर. 1941 पटना 461.
5. ए.आई.आर. 1950 उड़ीसा 257.
6. ए.आई.आर. 1952 पी.बी.

आपत्ति को बरकरार रखा गया और वादी को कोर्ट-फीस में कमी को पूरा करने के लिए कहा गया, कोर्ट-फीस में कमी को पूरा करने के बजाय, वादी ने

वाद में संशोधन किया और अपनी चुनौती को केवल तीन अलगाव तक सीमित कर दिया। इन तथ्यों पर, विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि वाद को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए / मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इन फैसलों की इस मुद्दे पर कोई प्रासंगिकता कैसे है। जहां तक *मकसूद अहमद के मामले* (ऊपर) का सवाल है, यह फिर से पूरी तरह से अप्रासंगिक है और इसके तथ्यों का कोई संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है। *नूर मोहम्मद के मामले* (ऊपर) में, फिर से, वाद की अस्वीकृति के प्रश्न पर नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के प्रावधानों के आधार पर निर्णय लिया गया था, और उस निर्णय से कोई मदद नहीं मिलती है। हरिहर महापात्रा के मामले *(ऊपर)* में भी यही फैसला आया है।

एकमात्र निर्णय जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का *कलेपू पाला सुब्रमण्यम* बनाम आंध्र *प्रदेश उच्च न्यायालय।तिकुती वेंकट पेड्डीराजू और अन्य* (11)। उस मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने माना कि मुकदमा बी अनुसूची के आइटम 1, 2 (ए), 2 (बी), 2 (सी) और 3 (ए) और आइटम 1 और 2 के संबंध में समय से बाधित था। (ए) वादपत्र सी अनुसूची के और केवल इन मदों के संबंध में वादपत्र को खारिज कर दिया. अन्य दावों के संबंध में, वादी को नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के तहत एक आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया था। वादी द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी। विद्वान न्यायाधीश ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और इस आशय का आदेश पारित किया कि जब दावे का एक हिस्सा समय-प्रतिबंधित हैं , तो

पूरी याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए। अत्यंत सम्मान के साथ, मैं विद्वान न्यायाधीश के इस दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हूं। यदि वाद पत्र में विभिन्न दावे हैं, जिनमें से कुछ समय-प्रतिबंधित हैं, तो वाद अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है और वाद को उन दावों के संबंध में आगे बढ़ना होगा जो समय सीमा के भीतर हैं।

उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, मैं मानता हूं कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई याचिका अस्थिर है और इसके विपरीत दृष्टिकोण न तो ठोस है और न ही न्यायपूर्ण है और कानून की भाषा द्वारा आवश्यक नहीं है। नतीजतन, पूछे गए प्रश्न का मेरा उत्तर यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (ए) के प्रावधान केवल ऐसे मामले में लागू होंगे, जहां इस दलील के कारण कि वादी कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है, वादी पूरी तरह से अनुपयुक्त है, लेकिन इस नियम का उन मामलों के लिए कोई प्रयोज्यता नहीं होगा जहां एक वादी भाग के संबंध में कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है। (ख) कुछ प्रतिवादियों के विरुद्ध दावे, क्योंकि उस स्थिति में प्रतिवादियों के नाम, जिनके विरुद्ध कार्रवाई का कोई कारण नहीं है अथवा मुकदमा कानून द्वारा प्रतिबंधित है, को हटा दिया जाना चाहिए और शेष प्रतिवादियों के विरुद्ध मुकदमा आगे बढ़ाना होगा।

(1) ए.आई.आर. 1971 आंध्र प्रदेश 313.

यह मामला अब गुण-दोष के आधार पर निपटारे के लिए एकल न्यायाधीश के पास वापस जाएगा।

न्यायमूर्ति कोशल, -मैं पूरी तरह से सहमत हूं और इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि वाद को आंशिक रूप से खारिज किए जाने का विचार ही नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश VII के नियम 11 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। मुकदमे में वाद, वाद को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज है, न कि मुकदमा और इसलिए, या तो खारिज किया जा सकता है या बनाए रखा जा सकता है, जिसका दूसरे शब्दों में, केवल यह अर्थ है कि इसे या तो ख़ारिज किया जा सकता है या आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे दो भागों में नहीं बाँटा जा सकता जिसमें एक भाग को ख़ारिज कर दिया जाए और दूसरे को आगे बढ़ाया जाए। यह नियम की भाषा से स्पष्ट रूप से पता चलता है। "अपनी संपूर्णता में" या "आंशिक रूप से" जैसी अभिव्यक्तियाँ इस प्रकार वाद-पत्र की अस्वीकृति के संबंध में पूरी तरह से अयोग्य हैं।

न्यायमूर्ति संधावालिया—मैं अपने विद्वान भाई जैन, न्यायमुर्ति. से सहमत हूं।

बी.एस.जी.

> अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा

और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रश्मीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer

गुरुग्राम, हरियाणा